न्यायालय विशेष न्यायाधीश(एस0सी0,एस0टी0ऐक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं02,उन्नाव।

उपस्थितः— आनन्द कुमार,
(उच्चतर न्यायिक सेवा)

J.O. Code Numberः— U.P—5938

परिवाद संख्याः—472/2020

सुनीता रावत बनाम विनय लोध

दिनॉकः— 24—5—2022

पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रस्तुत।

परिवादिनी सुनीता रावत द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र के अनुसार घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादिनी सुनीता रावत दिनॉक 16—9—2019 को शाम लगभग 4 बजे अपनी दुकान पर बैठी थी। उसकी दुकान के बगल में पड़ी मिट्टी का विपक्षी विनय लोध अपने लेबरो से उठाने लगे। जब परिवादिनी ने विपक्षी को मिट्टी उठाने से मना किया तो विपक्षी ने परिवादिनी को दुकान से खीच लिया जिससे परिवादिनी गिर गयी और दाहिने पैर की गॉठ में चोट आ गयी तथा जाति सूचक गालियॉ व जान से मारने की धमकी देते हुए चला गया।

परिवादिनी ने थाना कोतवाली व पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया किन्तु कोई कार्यवाही नही हुई। तब परिवादिनी ने न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

परिवादिनी ने अपने परिवाद पत्र के समर्थन में धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत स्वयं का बयान व धारा 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत पी0डब्लू01 मोहित शर्मा, पी0डब्लू02 मनीष बाजपेई को परीक्षित कराया है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत परिवादिनी ने अपने बयान में कथन किया है कि दिनॉक 16—9—2019 को शाम लगभग 4 बजे, मै अपनी दुकान पर बैठी थी। मेरी दुकान के बगल में पड़ी मिट्टी को विनय लोध अपने लेबरो के साथ आये और मिट्टी को उठाने लगे। जब मैने मना किया तो विनय लोध ने मुझे दुकान से खीच लिया जिससे मेरे दाहिने पैर की गाठ में चोट भी आ गयी। मेरे चिल्लाने पर मुहल्ले के लोगो ने बचाया। जाते समय जाति सूचक भद्दी—भद्दी गालियॉ देते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया।

धारा 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत पी0डब्लू01 मोहित शर्मा, पी0डब्लू02 मनीष बाजपेई परीक्षित हुए है जिन्होने भी परिवादिनी के बयानो का समर्थन

करते हुए कहा है कि विपक्षी विनय लोध अपने लेबरो के साथ परिवादिनी के दुकान के बगल में पड़ी मिट्टी को उठाने लगे। परिवादिनी द्वारा मना करने पर परिवादिनी का हाथ पकड़कर खीच लिया जिससे परिवादिनी के दाहिने पैर की गॉठ में चोट आ गयी। शोर पर विपक्षी विनय लोध जाति सूचक गालियॉ देते हुए भाग गया।

इस प्रकार विपक्षी विनय लोध द्वारा परिवादिनी का हाथ पकड़ कर खीचने पर उसके दाहिने पैर की गाठ में चोट आना व जाति सूचक भद्दी–भद्दी गालियॉ देते हुए अपमानित किये जाने का प्रथम दृष्टया साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध है। अतः विपक्षी विनय लोध धारा 323, 504, भारतीय दण्ड संहिता व 3(1)द, ध अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत, अपराध में तलब किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त विनय लोध को धारा 323, 504, भारतीय दण्ड संहिता व 3(1)द, ध अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अपराध में तलब किया जाता है। परिवादिनी तलबी हेतु पैरवी एक सप्ताह के अन्दर करे, पत्रावली वास्ते हाजिरी दिनॉक 4–7–2022 को पेश हो।

(आनन्द कुमार)
विशेष न्यायाधीश(एस0सी0,एस0टी0ऐक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं02,उन्नाव।